तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व वाद संख्या 216/25 उनवान अल्का बनाम सरकार
15/12/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी श्री भागीरथ चौधरी द्वारा वकालतनामा किया वास्ते बाबत प्रा.प. पेश किया प्रार्थी की ओ.पी. श्री पुष्कर मोती Adv. उप. / सरकार जवाब प्रा.प. / तहसीलदार किशनगढ़ को जवाब बाबत वकील प्रार्थी की जावे पत्रावली दिनांक 13/1/2026 को पेश हो [signature] उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़
13/1/26	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. तहसीलदार जवाब प्रा.प. [illegible] द्वारा को [illegible] पत्रावली 14/1/26 को पेश हो [signature]
14/1/2026	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी आमिल वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र [illegible] बहस सुनी गई बहस पर गौर किया गया प्र. पत्र स्वीकार किया जाता है [illegible] तैयार पत्रावली [illegible] किया गया पत्रावली [illegible] शुरू होकर नस्ती [illegible] हो [signature] उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमान रजत यादव (आई.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 216/2025

1. अलका जैन पत्नी हरिश कुमार जैन जाति जैन उम्र लगभग 43 वर्ष निवासी मित्र निवास कॉलोनी, रोटरी क्लब के पास, मदनगंज–किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज०।

2. पारस कुमार जैन पुत्र श्री पांचूलाल जैन जाति जैन उम्र लगभग 48 वर्ष निवासी मित्र निवास कॉलोनी, रोटरी क्लब के पास, मदनगंज–किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज०।

3. बीना जैन पत्नी राजकुमार जैन जाति जैन उम्र लगभग 56 वर्ष निवासी विवेक विहार कॉलोनी, आर के लिंक रोड, मदनगंज–किशनगढ़ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज०।

4. राजेश जैन पुत्र धर्म चन्द जैन जाति जैन उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी रविन्द्र रंग मंच के पास, सी–6 राजहंस कॉलोनी, मदनगंज–किशनगढ तहसील, किशनगढ जिला अजमेर राज०।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़।

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 14.01.2026

उपस्थितः वकील प्रार्थी श्री पुष्पक सोनी
वकील अप्रार्थी श्री पैरोकार सरकार

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री पुष्पक सोनी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 249 क्षेत्रफल 2.4270 हैक्टेयर किस्म बंजर 2 व खसरा संख्या 248 क्षेत्रफल 1.6180 हैक्टेयर किस्म बंजर 2 वाकै ग्राम टिकावडा पटवार हल्का टिकावडा भू.अभि.नि.क्षेत्र सिलोरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज० में अवस्थित है। प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि स्वयं के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि आराजी है जिस पर प्रार्थीगण कृषि कार्य करके अपने व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। प्रार्थीगण उक्त कृषि आराजी पर कृषि कार्य हेतु आने जाने एवं कृषि उपकरण ट्रेक्टर, हल इत्यादि लाने ले जाने एवं प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण के जानवर आने जाने आदि के लिए प्रार्थीगण की पैरा संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजी के अडोस पडोस में लगते हुए खसरों में राजस्व रिकार्ड में कोई आम रास्ता अंकित नहीं है प्रार्थीगण वर्तमान में ग्राम टिकावडा पटवार हल्का टिकावडा भू.अभि.नि.क्षेत्र सिलोरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज० में स्थित खसरा नम्बर 250 क्षेत्रफल 0.1456 हैक्टेयर जो कि आने जाने वाला राजस्व रिकार्ड में व सडके निमार्ण विभाग पी.डब्ल्यू.डी. हिस्सा पूर्ण सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम अंकित है उक्त रास्ते से होते हुए प्रार्थीगण अप्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम टिकावडा पटवार हल्का टिकावडा भू.अभि.नि.क्षेत्र सिलोरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज०

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

स्थित खसरा नम्बर 1130/830 गैर मुमकिन छापर में से होते हुए प्रार्थीगण अपनी स्वयं की वाकै ग्राम टिकावडा पटवार हल्का टिकावडा भू.अभि.नि.क्षेत्र सिलोरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज० में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 249 व 248 में काश्त करने हेतु नजरी नक्शे में वर्णितानुसार आवागमन हेतु सदियों पुराना जो रास्ता अवस्थित है से आता जाता है किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन अमल दरामद तरमीम नहीं होने के कारण राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ते को राजस्व मानचित्र मे कायम करते हुए अंकन अमल दरामद व तरमीम करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ प्रार्थीगण की पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी में आने जाने हेतु अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1130/830 में से 30 फीट चौडाई का रास्ता प्रार्थी की सींव तक दिलवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण के आवागमन हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में अंकित, वर्णित एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे मे लाल स्याही से अंकित एवं वर्णित रास्ते का प्रचलित राजस्व रेकार्ड एवं मानचित्र में अंकन, अमल दरामद तरमीम ना होने से अप्रार्थी प्रार्थी के उक्त आवागमन के रास्ते में आये दिन बाधा, व्यवधान, हस्तक्षेप करते रहते है इस कारण प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र राजस्व रिकार्ड, राजस्व मानचित्र में रास्ते को कायम करवाने, अंकन अमल दरामद, तरमीम करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है, प्रार्थीगण नियमानुसार अप्रार्थी की भूमि जो कि रास्ते के आवागमन हेतु आने वाली भूमि जो नजरी नक्शे में एवं प्रार्थना पत्र में अंकित है का नियमानुसार प्रतिफल राशि अप्रार्थी को अदा करने, माननीय न्यायालय में जमा कराने को तैयार एवं तत्पर है। प्रार्थीगण की पेरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1130/830 गैर मुमकिन छापर में से होते हुए प्रार्थी की कृषि आराजी पर आने जाने हेतु एक मात्र रास्ता है जो कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में अंकितानुसार एक मात्र रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे को प्रार्थना पत्र का अंग माना जावें। माननीय न्यायालय में उक्त वर्णित रास्ता राजस्व रेकार्ड, मानचित्र आदि में कायम करवाने हेतु प्रार्थना पत्र नियमानुसार प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा संख्या 1130/830 अप्रार्थी राजस्थान सरकार की होने से उन्हें प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाना आवश्यक हुआ एवं अप्रार्थी की भूमि के अलावा प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने के कारण उक्त खसरे में से प्रार्थीगण ने आवागमन हेतु अप्रार्थी की भूमि में से रास्ता दिलवाने हेतु एवं दिलवाये जाने वाले रास्ते को राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व मानचित्र में अंकन, तरमीम, अमल दरामद करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, अतः श्रीमान् की सेवा में प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है जिसको मंजूर फरमाते हुए प्रार्थीगण को राहत प्रदान करने की कृपा करावें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 03.09.2025 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई। दिनांक 29.12.2025 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रस्तावित मार्ग हेतु मौका रिपोर्ट पेश की जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम टिकावडा में स्थित भूमि खसरा संख्या 248, 249 में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन के लिये एकमात्र

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

रास्ता खसरा संख्या 1130/830 रकबा 0.8090 हैक्टेयर में से 0.0148 हैक्टेयर से दिया जा सकता जिसके लिये प्रस्तावित रकबा 0.0148 हैक्टेयर अधिग्रहित की जायेगी, जिसकी निर्वापित राशि वर्तमान डी.एल.सी. दर 1163200/– प्रति हैक्टैयर के अनुसार 37222/– अक्षरे सैंतीस हजार दो सौ बाईस रूपये होगी।

3. तहसीलदार किशनगढ की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार किशनगढ की मौका रिपोर्ट मय जवाब के अवलोकन से ताईद है कि प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन के लिये एकमात्र रास्ता खसरा संख्या 1130/830 में से 20 फीट चौडाई का रास्ता दिया जा सकता है, जिसके लिये प्रस्तावित रकबा 0.0120 हैक्टेयर अधिग्रहित की जायेगी, प्रस्तावित रास्ता रकबा 0.0120 हेक्टेयर स्वीकृत किये जाने की स्थिती में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 248, 249 में आवागमन हेतु पहुंच मार्ग उपलब्ध हो जायेगा । अतः तहसीलदार किशनगढ की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज.का.अधि. स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा संख्या 1130/830 में से प्रस्तावित रास्ते हेतु अधिग्रहित रकबा 0.0120 हैक्टेयर (20 फीट चौडाई) भूमि अधिग्रहित की जाकर प्रचलित डी.एल.सी. दर के अनुसार ख0नं0 1130/830 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.0120 हेक्टेयर भूमि की निर्वापित राशि 27917/– अक्षरे सत्ताईस हजार नौ सौ सतारह रूपये मात्र होती है, जो प्रार्थी द्वारा राजकीय कोष, 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजीट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी। प्रार्थीगण को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0120 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा राशि राशि 27917/– अक्षरे सत्ताईस हजार नौ सौ सतारह रूपये मात्र, तहसीलदार किशनगढ के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात् उनकी रिपोर्ट क्रमांक 2025/7968 दिनांक 29.12.2025 के साथ संलग्न मौका पर्चा एवं नक्शा के अनुसार रकबा 0.0120 हैक्टैयर रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में तरमीम कर भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ